The Uttaranchal Panchayat (Amendment) Act, 2002

Act 15 of 2002

Keyword(s):
Zila, Kshetra, Pradhan, Pramukh

Amendments appended: 26 of 2003, 28 of 2003, 13 of 2006

DISCLAIMER: This document is being furnished to you for your information by PRS Legislative Research (PRS). The contents of this document have been obtained from sources PRS believes to be reliable. These contents have not been independently verified, and PRS makes no representation or warranty as to the accuracy, completeness or correctness. In some cases the Principal Act and/or Amendment Act may not be available. Principal Acts may or may not include subsequent amendments. For authoritative text, please contact the relevant state department concerned or refer to the latest government publication or the gazette notification. Any person using this material should take their own professional and legal advice before acting on any information contained in this document. PRS or any persons connected with it do not accept any liability arising from the use of this document. PRS or any persons connected with it shall not be in any way responsible for any loss, damage, or distress to any person on account of any action taken or not taken on the basis of this document.

27-12-8-08 सचिव-पंचा

क्रम संख्या–213

पंजीकृत संख्या–यू0ए0/डी0एन0–30/02
(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तरांचल

उत्तरांचल सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट
भाग–1, खण्ड (क)
(उत्तरांचल अधिनियम)

देहरादून, शनिवार, 21 दिसम्बर, 2002 ई0
अग्रहायण 30, 1924 शक सम्वत्

उत्तरांचल शासन
विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 458/विधायी एवं संसदीय कार्य/2002
देहरादून, 21 दिसम्बर, 2002

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तरांचल विधान सभा द्वारा पारित उत्तरांचल पंचायत (संशोधन) अधिनियम, 2002 को दिनांक 21–12–2002 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तरांचल अधिनियम संख्या 15, सन् 2002 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तरांचल पंचायत (संशोधन) अधिनियम, 2002

(अधिनियम संख्या 15, सन् 2002)

(भारत गणराज्य के 53वें वर्ष में विधान सभा द्वारा अधिनियमित)

उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम, 1947 तथा उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1961 में क्रमशः ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायतों की प्रवृत्ति के सम्बन्ध में :–

अधिनियम

अध्याय–1

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ

1. (1) यह अधिनियम उत्तरांचल पंचायत (संशोधन) अधिनियम, 2002 कहा जायेगा।
(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तरांचल राज्य में होगा।
(3) यह दिनांक 28 अक्टूबर, 2002 में प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

अध्याय–2

2. उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम, 1947 तथा उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1961 (उत्तरांचल राज्य के परिप्रेक्ष्य में यथा अनुकूलित एवं उपान्तरित) की क्रमशः धारा 12, 8 व 20 के बाद उपधारा (3–क) को निम्नवत् संशोधित समझा जायेगा।

(3–क) इस अधिनियम के किन्हीं अन्य उपबन्धों में किसी बात के होते हुए भी जहां अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण या लोकहित में किसी क्रमशः ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत का संघटन करने के लिए उसके कार्यकाल के अवसान तथा उसके बाद बढ़ी हुई छः माह की अवधि के पूर्व निर्वाचन कराना साध्य नहीं है, वहां राज्य सरकार या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई अधिकारी आदेश द्वारा प्रशासक नियुक्त कर सकता है और ऐसा प्रशासक छः माह से अनधिक ऐसी अवधि के लिए जैसा कि उक्त आदेश में विनिर्दिष्ट की जाये, पद धारण करेगा और क्रमशः ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत उसके क्रमशः प्रधान, प्रमुख तथा अध्यक्ष और समितियों की समस्त शक्तियाँ, कृत्य और कर्तव्य तथा स्थिति ऐसे प्रशासक में निहित होंगे और उसके द्वारा उनका प्रयोग, सम्पादन और निर्वहन किया जायेगा।

3. उत्तरांचल पंचायत (संशोधन) अध्यादेश, 2002 (अध्यादेश संख्या 06, सन् 2002) एतद्द्वारा निरसित समझा जायेगा।

आज्ञा से,

(यू0 सी0 ध्यानी)
अपर सचिव।

No. 458/Vidhayee And Sansadiya Karya/2002
Dated Dehradun, December 21, 2002

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttaranchal Panchayat (Amendment) Act, 2002 (Uttaranchal Act Sankhya 15 of 2002).

As passed by the Uttaranchal Legislative Assembly and assented by the Governor on December 21, 2002.

THE UTTARANCHAL PANCHAYAT (AMENDMENT) ACT, 2002

(UTTARANCHAL ACT NO. 15 OF 2002)

(Be it enacted in the Fifty-third year of the Republic of India)

To amend the Uttar Pradesh Panchayati Raj Act, 1947 and Uttar Pradesh Kshetra Panchayat & Zila Panchayat Act, 1961 its applicaton to Gram Panchayat, Kshetra Panchayat & Zila Panchayat respectively.

AN
ACT

CHAPTER-1

Short title, extension and Commencement

1. (1) This Act may be called the Uttaranchal Panchayat (Amendment) Act, 2002.
(2) It shall be applicable to the whole State of Uttaranchal.
(3) It shall be deemed to be enacted October 28, 2002.

CHAPTER-2

2. After the section 12, 8, & 20 respectively of Uttar Pradesh Panchayat Raj Act, 1947 Uttar Pradesh Kshetra Panchayat and Zila Panchayat Act, 1961 (as Adapted and Modified in its application to Uttaranchal State) sub-section (3-A) shall be deemed to be amended as follows, namely :

(3-A) Notwithstanding anything contained in any other provisions of this Act, where due to unavoidable circumstances or in public interest, it is not practicable to hold an election to constitute a Gram Panchayat, Kshetra Panchayat & Zila Panchayat before the expiry of its duration and extended term of six months the State Government or an officer authorized by it in this behalf may, by order, appoint an administrator who shall hold office for such period not exceeding six months as may be specified in the said Order and all powers, functions and duties of Gram Panchayat, Kshetra Panchayat & Zila Panchayat respectively its Pradhan, Pramukh & Adhyaksh and Committees shall vest in and be excercised, performed and discharged by such Administrator.

3. The Uttaranchal Panchayat (Amendment) Ordinance, 2002 (Ordinance no. 6 of 2002) is hereby repealed.

By Order,

(U. C. DHYANI)
Addl. Secy.

पी०एस०यू०(आर०ई०) 30 विधायी / 553–2002–500 (कम्प्यूटर / रीजियो)।

क्रम संख्या–13

पंजीकृत संख्या–यू0ए0/डी0एन0–30/03
(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तरांचल

उत्तरांचल सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट
भाग–1, खण्ड (क)
(उत्तरांचल अधिनियम)

देहरादून, बुधवार, 14 जनवरी, 2004 ई0
पौष 24, 1925 शक सम्वत्

उत्तरांचल शासन
विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 498/विधायी एवं संसदीय कार्य/2003
देहरादून, 14 जनवरी, 2004

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तरांचल विधान सभा द्वारा पारित उत्तरांचल पंचायत (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2003 पर दिनांक 10–01–04 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तरांचल अधिनियम संख्या 26, सन् 2003 के रूप में सर्व–साधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तरांचल पंचायत (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2003
(उत्तरांचल अधिनियम संख्या 26, वर्ष 2003)

उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम, 1947 (यथा उत्तरांचल राज्य में लागू) में अग्रेत्तर संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के 54वें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :–

अध्याय–1

1. (1) यह अधिनियम उत्तरांचल पंचायत (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2003 कहा जायेगा। संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ
(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तरांचल राज्य में होगा।

(3) यह राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना जारी किये जाने वाले दिनांक से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

अध्याय–2

मूल अधिनियम की धारा 109–क में संशोधन

2. उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम, 1947 (यथा उत्तरांचल राज्य में लागू) (जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है) में निम्नवत् संशोधन कर दिये जायेंगे, अर्थात् :

(1) मूल अधिनियम की धारा 109–क की उपधारा (1) के खण्ड (क) में शब्द "सचिव" के स्थान पर "प्रधान" रख दिया जायेगा।

(2) मूल अधिनियम की धारा 109–क की उपधारा (1) के खण्ड (ख) में शब्द "सचिव" से पूर्व "प्रधान/" रख दिया जायेगा।

(3) मूल अधिनियम की धारा 109–क की उपधारा (1) के खण्ड (ख) के बाद एक नया खण्ड (ग) अन्तःस्थापित कर दिया जायेगा, अर्थात् :

(ग) "अभिलेखों के समुचित अनुरक्षण एवं उनमें प्रविष्टियां करने का दायित्व ग्राम पंचायत के सचिव का होगा"।

अध्याय–3

निरसन और अपवाद (अध्यादेश संख्या 05, वर्ष 2003)

3. (1) उत्तरांचल पंचायत (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 2003 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट अध्यादेश के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायेगी मानो इस अधिनियम के सभी उपबन्ध सारवान समय पर प्रवृत्त थे।

आज्ञा से,
बी0 लाल,
सचिव।

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttaranchal Panchayat (Second Amendment) Bill, 2003 Uttaranchal Adhiniyam Sankhya 26 of 2003.

As passed by the Uttaranchal Legislative Assembly and assented to by the Governor on 10-01-2004.

No. 498/Vidhayee and Sansadiya Karya/2003
Dated Dehradun, January 14, 2004

NOTIFICATION

Miscellaneous

UTTARANCHAL PANCHAYAT (SECOND AMENDMENT) Act, 2003

(UTTARANCHAL ACT NO. 26 OF 2003)

To further amend the Uttar Pradesh Panchayat Raj Act, 1947
(as applicable in Uttaranchal)

AN

ACT

IT IS HEREBY inacted in the fifty fourth year of the Republic of India as follows :

CHAPTER--1

Short title, Extent and Commencement

1. (1) This Act may be called the Uttaranchal Panchayat (Second Amendment) Act, 2003.

(2) It shall be applicable to the whole State of Uttaranchal.

(3) It shall be deemed to have come into force on the date the notification is issued by the State Government.

CHAPTER–2

Amendment of Section 109-A of the Principal Act

2. In the Uttar Pradesh Panchayat Raj Act, 1947 (As applicable in the State of Uttaranchal) (hereinafter referred to as Principal Act) shall be amended as follows, namely :

(1) The word "Secretary" shall be substituted by the word "Pradhan" in clause (a) of sub-section (1) of section 109-A of the Principal Act.

(2) The word "Pradhan/" shall be inserted between the words "The" and "Secretary" in clause (b) of sub-section (1) of section 109-A of the Principal Act.

(3) A new clause (c) shall be inserted after clause (b) of sub-section (1) of Section 109-A of the Principal Act as follows, namely :

(c) "Secretary of the Gram Panchayat shall be responsible for proper maintenance and making entries in the records".

CHAPTER–3

Repeal and savings (Ordinance no. 05 of 2003)

3. (1) The Uttaranchal Panchayat (Second Amendment) Ordinance, 2003 is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the Ordinance referred to in the sub-section (1) shall be deemed to have been done or taken under this Act, as if the provisions of this Act were in force at all material times.

By Order,
B. Lal,
Secretary.

पी०एस०यू० (आर०ई०) 11 विधायी / 30–2004–500 (कम्प्यूटर / रीजियो)।

क्रम संख्या–18

पंजीकृत संख्या–यू0ए0/डी0एन0–30/03
(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तरांचल

उत्तरांचल सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट
भाग–1, खण्ड (क)
(उत्तरांचल अधिनियम)

देहरादून, बृहस्पतिवार, 15 जनवरी, 2004 ई0
पौष 25, 1925 शक सम्वत्

उत्तरांचल शासन
विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग
संख्या 500/विधायी एवं संसदीय कार्य/2003
देहरादून, 15 जनवरी, 2004

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तरांचल विधान सभा द्वारा पारित उत्तरांचल पंचायत (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2003 पर दिनांक 13–01–2004 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तरांचल अधिनियम संख्या 28, सन् 2003 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है :–

उत्तरांचल पंचायत (तृतीय संशोधन) अधिनियम, 2003

(उत्तरांचल अधिनियम संख्या 28, वर्ष 2003)

उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम, 1947 (यथा उत्तरांचल राज्य में लागू) में अग्रेत्तर संशोधन करने के लिए–

अधिनियम

भारत गणराज्य के 54वें वर्ष में विधान सभा द्वारा निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :–

अध्याय–1

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ

1. (1) यह अधिनियम उत्तरांचल पंचायत (तृतीय संशोधन) अधिनियम, 2003 कहा जायेगा।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तरांचल राज्य में होगा।

(3) यह उस दिनांक से, जो राज्य सरकार गजट नोटिफिकेशन में नियत करे, प्रवृत्त होगा।

अध्याय–2

मूल अधिनियम की धारा 29 में संशोधन

2. उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम, 1947 (यथा उत्तरांचल राज्य में लागू) (जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 29 में निम्नवत् संशोधन कर दिये जायेंगे; अर्थात् :

(1) मूल अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (2) में "छः अन्य सदस्य" शब्दों के स्थान पर "चार अन्य सदस्य" शब्द रख दिये जायेंगे।

इसी उपधारा में निम्न परन्तुक बढ़ा दिया जायेगा :

"परन्तु अग्रेत्तर यह भी कि किसी विषय विशेष से सम्बन्धित किसी समिति में राज्य सरकार किसी सरकारी कर्मचारी को सह–सचिव पद नामित कर सकेगी।"

(2) मूल अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (2) के बाद एक नयी उपधारा (3) अन्तः स्थापित कर दी जायेगी; अर्थात :

"(3) राज्य सरकार आवश्यकतानुसार किसी विषय विशेष के लिये मुख्य समिति की सहायतार्थ उपसमिति का गठन अधिसूचना द्वारा कर सकेगी।"

आज्ञा से,
बी० लाल,
सचिव।

In pursuance of the provision of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttaranchal Panchayat (Third Amendment) Bill, 2003 (Uttaranchal Adhiniyam Sankhya 28 of 2003).

As passed by the Uttaranchal Legislative Assembly and assented to by the Governor on January 13, 2004:–

No. 500/Vidhayee and Sansadiya Karya/2003
Dated Dehradun, January 15, 2004

NOTIFICATION

Miscellaneous

THE UTTARANCHAL PANCHAYAT (THIRD AMENDMENT) Act, 2003

(UTTARANCHAL ACT NO. 28 OF 2003)

A Bill further to amend the Uttar Pradesh Panchayat Raj Act, 1947 (as applicable to the State of Uttaranchal)

AN

ACT

Be it enacted by the State Assembly in Fifty-Fourth Year of the Republic of India as follows :

CHAPTER--1

1. (1) This Act may be called the Uttaranchal Panchayat (Third Amendment) Act, 2003. Short title, Extent and Commencement

(2) It shall be applicable to the whole State of Uttaranchal.

(3) It shall come into force on such date as the State Government may; by notification in the Gazette appoint.

CHAPTER--2

2. Section 29 of the Uttar Pradesh Panchayat Raj Act, 1947 (As applicable to the State of Uttaranchal) (hereinafter referred to as principal Act) shall be amended as follows, namely : Amendment of section 29 of the principal Act

(1) The words "Six other members" of sub-section (2) of section 29 of the principal Act shall be substituted by the words "Four other members".
The following provision shall be inserted in this sub-section :
"Provided further that the State Government may designate any Government servant as Co-Secretary to a committee related to any particular subject."

(2) After sub-section (2) of section 29 of the principal Act, a new sub-section (3) shall be inserted as follows, namely :

"(3) The State Government may, if and when so required, constitute a sub-committee for a particular subject to assist the main committee by notification."

By Order,

BHAROSI LAL,
Secretary.

पी०एस०यू० (आर०ई०) 14 विधायी/33–2004–500 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

क्रम संख्या–152

पंजीकृत संख्या–यू0ए0/डी0एन0–30/03
(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तरांचल

उत्तरांचल सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–1, खण्ड (क)
(उत्तरांचल अधिनियम)

देहरादून, मंगलवार, 17 अक्टूबर, 2006 ई0
आश्विन 25, 1928 शक सम्वत्

उत्तरांचल शासन

विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 840/विधायी एवं संसदीय कार्य/2006
देहरादून, 17 अक्टूबर, 2006

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन महामहिम राज्यपाल ने उत्तरांचल विधान सभा द्वारा पारित उत्तरांचल पंचायत विधि (संशोधन) विधेयक, 2006 पर दिनांक 15 अक्टूबर, 2006 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तरांचल का अधिनियम संख्या 13, सन् 2006 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तरांचल पंचायत विधि (संशोधन) अधिनियम, 2006

(उत्तरांचल अधिनियम संख्या 13, वर्ष 2006)

संयुक्त प्रान्त पंचायत राज अधिनियम, 1947 और उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1961 (समय–समय पर यथा संशोधित तथा उत्तरांचल राज्य में यथा प्रवृत्त) को उत्तरांचल राज्य के परिपेक्ष्य में अग्रत्तर संशोधन करने के लिए

अधिनियम

उत्तरांचल विधान सभा द्वारा भारत गणराज्य के 57वें वर्ष में अधिनियमितः–

अध्याय एक

प्रारम्भिक

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1–(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उत्तरांचल पंचायत विधि (संशोधन) अधिनियम, 2006 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

अध्याय दो

संयुक्त प्रान्त पंचायत राज अधिनियम, 1947 का संशोधन

संयुक्त प्रान्त अधिनियम संख्या 26, सन् 1947 की धारा 11ग का संशोधन

2—संयुक्त प्रान्त पंचायत राज अधिनियम, 1947 (समय—समय पर यथा संशोधित तथा उत्तरांचल राज्य में यथा प्रवृत्त) (जिसे यहाँ आगे मूल अधिनियम कहा गया है), की धारा 11—ग की उप धारा (3) निकाल दी जायेगी।

मूल अधिनियम की धारा 12ख का प्रतिस्थापन

3—मूल अधिनियम की धारा 12 ख के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायेगी, अर्थात:—

"12ख (1) कार्य सम्पादन के लिए ग्राम सभा की बैठक सामान्यतया प्रत्येक मास में कम से कम एक बार होगी, किन्तु दो लगातार बैठकों के बीच दो मास का अन्तर नहीं होगा: प्रतिबन्ध यह है कि किसी ग्राम सभा की प्रथम बैठक के लिए नियत की जाने वाली तारीख उसके संघटन की तारीख से तीस दिन के भीतर होगी।

(2) ग्राम सभा की बैठकें ऐसे स्थान पर, और ऐसी रीति से, आयोजित की जायेंगी, जैसे नियत की जाये।"

मूल अधिनियम की धारा 14 का संशोधन

4—धारा 14 में—

(क) शीर्षक में शब्द "तथा उपप्रधान" निकाल दिये जायेंगे;

(ख) उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायेगी, अर्थात:—

"(1) ग्राम सभा ऐसी बैठक में जो इस प्रयोजन के लिए विशेष रूप से बुलाई जाये और जिसकी कम से कम 15 दिन की पूर्व सूचना दी जाय, ग्राम सभा के उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के दो तिहाई बहुमत से प्रधान को हटा सकती है।

(1—क) धारा 11 में किसी बात के होते हुए भी, उपधारा (1) के अधीन किसी बैठक के लिए गणपूर्ति ग्राम सभा के एक तिहाई सदस्यों से होगी।"

(ग) उपधारा (3) में शब्द "दो वर्ष" के स्थान पर शब्द "एक वर्ष" रख दिया जायेगा।

नई धारा 14—ख का अन्तःस्थापन

5—मूल अधिनियम की धारा 14—क के बाद निम्नलिखित धारा रख दी जायेगी, अर्थात्:—

"14—ख (1) उप प्रधान का हटाया जाना—ग्राम सभा ऐसी बैठक में जो इस प्रयोजन के लिए विशेष रूप से बुलाई जाय और जिसकी कम से कम 15 दिन की पूर्व सूचना दी जाय, ग्राम सभा के उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के दो तिहाई बहुमत से उप प्रधान को हटा सकती है।

(2) उप प्रधान को हटाने के लिए कोई बैठक उसके निर्वाचन से दो वर्ष के भीतर नहीं बुलाई जायेगी।

(3) यदि बैठक में प्रस्ताव अपेक्षित बहुमत न होने के कारण पारित न हो पाये तो उसी उप प्रधान को हटाने के लिए बाद में कोई बैठक पूर्ववर्ती बैठक के दिनांक से दो वर्ष के भीतर नहीं बुलाई जायेगी।

(4) इस धारा के उपबन्धों के अधीन रहते हुए उप प्रधान को हटाने की प्रक्रिया भी जो ऐसी बैठक में अनुसरित की जाय, वही होगी जो नियत की जाए।"

अध्याय तीन

उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1961 का संशोधन

उ0प्र0 एक्ट नं० 33, 1961 की धारा 61 का संशोधन

6—उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1961 (समय—समय पर यथासंशोधित तथा उत्तरांचल राज्य में यथाप्रवृत्त) की, जिसे आगे अध्याय में मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 61 में उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायेगी, अर्थात:—

"(1) कार्य सम्पादन के लिए प्रति दो मास में जिला पंचायत की कम से कम एक बार बैठक होगी:

प्रतिबन्ध यह है कि किसी जिला पंचायत की प्रथम बैठक के लिए नियत की जाने वाली तारीख उसके संघटन की तारीख से तीस दिन के भीतर होगी।"

धारा 84 का संशोधन

7—मूल अधिनियम की धारा 84 में उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायेगी, अर्थात:—

"(1) कार्य सम्पादन के लिए प्रति दो मास में क्षेत्र पंचायत की कम से कम एक बार बैठक होगी:

प्रतिबन्ध यह है कि किसी क्षेत्र पंचायत की प्रथम बैठक के लिए नियत की जाने वाली तारीख उसके संघटन की तारीख से तीस दिन के भीतर होगी।"

धारा 239 का संशोधन

8—मूल अधिनियम की धारा 239 में, उपधारा (2) में, सूची में, सार्वजनिक सुरक्षा तथा सुविधा से सम्बन्धित मद "च" में खण्ड (क) निकाल दिया जायगा।

आज्ञा से,

श्रीमती इन्दिरा आशीष,
सचिव।

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of The Uttaranchal Panchayat Raj Bill, 2006 (Uttaranchal Adhiniyam Sankhya 13 of 2006).

As Passed by the Uttaranchal Legislative Assembly and assented to by the Governor on October 15, 2006.

No. 840/Vidhayee and Sansadiya Karya/2006
Dated Dehradun, October 17, 2006

NOTIFICATION

Miscellaneous

THE UTTARANCHAL PANCHAYAT LAWS (AMENDMENT) ACT, 2006
(ACT NO. 13 OF, 2006)
(As passed by the Uttaranchal Legislature)

AN

ACT

further to amend the United Provinces Panchayat Raj Act, 1947 and the Uttar Pradesh Kshetra Panchayats and Zila Panchayats Adhiniyam, 1961.

Enacted by the Uttaranchal Vidhan Sabha in the Fifty-seventh Year of the Republic of India:--

Chapter I

Preliminary

Short title and Commencement

1. (1) This Act may be called the Uttaranchal Panchayat Laws (Amendment) Act, 2006.

(2) It shall come into force atonce.

Chapter II

Amendment of the United Provinces Panchayat Raj Act, 1947

Amendment of section 11-C of the United Panchayat Raj Act no. 26 of 1947

2. In section 11-C of the United Provinces Panchayat Raj Act, 1947, hereinafter in this chapter referred to as the principal Act, sub-section (3) shall be omitted.

Substitution of section 12-B

3. For section, 12-B of the principal Act, the following section shall be substituted, namely:--

"12-B (1) A Gram Sabha shall ordinarly meet for the meetings of Gram Sabha transaction of business at least once every month but two months shall not intervene between two consecutive meetings:

Provided that the date to be appointed for the first meeting of Gram Sabha, shall be within thirty days from the date of its constitution.

(2) The meetings of the Gram Sabha shall be held at such place and in such manner as may be prescribed."

Amendment of section 14

4. In section 14 of the principal Act--

(a) In the heading the words "and Up- Pradhan" shall be omitted.

(b) For sub-section (1) the following sub-section shall be substituted; namely-

"(1) The Gram Sabha may at a meeting specially convened for thr purpose and of which at least 15 days previous notice shall be given, remove the Pradhan by a majority of two-thirds of the members of the Gram Sabha present and voting.

(1-A) Notwithstanding anything contained in section 11 one-third of the members of the Gram Sabha shall form the corum for a meeting under sub-section (1)."

(c) In sub-section (3) for the words "two years" the words "one year" shall be substituted.

Insertion of new section 14-B

5. After section 14-A of the principal Act, the following section shall be inserted, namely:--

"14-B (1) Removal of Up-Pradhan--The Gram Sabha may, at a meeting specially convened for the purpose and of which at least fifteen days previous notice shall be given, remove the Up-Pradhan by a majority of two-thirds of the members of the Gram Panchayat.

(2) A meeting for the removal of a Up-Pradhan shall not be convened within two years of his election.

(3) If the motion is not taken up for lack of requisite majority at the meeting, no subsequent meeting for the removal of the same Up-Pradhan shall be convened within two years of the date of the previous meeting.

(4) Subject to the provisions of the section, the procedure for the removal of a Up-Pradhan, including that to be followed at such meeting, shall be such as may be prescribed."

Chapter–III

Amendment of the Uttar Pradesh Kshetra Panchayats and Zila Panchayats Adhinlyam, 1961

Amendment of section 61 of U.P. Act no. 33 of 1961

6. In section 61 of the Uttar Pradesh Kshetra Panchayats and Zila Panchayats Adhiniyam, 1961 hereinafter in this chapter referred to as the principal Act, for sub-section (1) the following sub-section shall be substituted, namely:--

"(1) A Zila Panchayat shall meet for the transaction of business at least once in every two months:

Provided that the date to be appointed for the first meeting of a Zila Panchayat, shall be within thirty days from the date of its constitution."

Amendment of section 84

7. In section 84 of the principal Act, for sub-section (1), the follwing sub-section shall be substituted, namely:--

"(1) A Kshetra Panchayat shall meet for the transaction of business at least once in every two months:

Provided that the date to be appointed for the first meeting or a Kshetra Panchayat, shall be within thirty days from the date of its constitution."

Amendment of section 239

8. In section 239 of the principal Act In sub-section (2), in the list in item 1 relating to public safety and convenience, clause (a) shall be omitted.

By Order,

Smt. INDIRA ASHISH,
Secretary.

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 28 विधायी/513–2006–100+400 (कम्प्यूटर/रीजियो)।